



प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

FAX

सेवा में

1. उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, गुडगांव-1 व II, फरीदाबाद, हिसार।
2. उप श्रम आयुक्त-1, गुडगांव, पानीपत, फरीदाबाद तथा हिसार।
3. उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, गुडगांव-1 व II
4. सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य-कम-सर्टिफाईंग सर्जन, हिसार।
5. लेखा अधिकारी (मुख्यालय)।

क्रमांक: स्था0/03/2016/ 22072-84

दिनांक: 27/7/17

विषय: अनुबन्ध आधार पर कार्यरत चालको की सेवा अवधि बढ़ाने बारे।

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के यादि क्रमांक 3/38/2013-3 श्रम दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में ।

आपके कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत चालकों की सेवा अवधि दिनांक 20.02.2017 से 19.02.2018 तक एक वर्ष बढ़ाने की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी है:-

"50% of initial pay (pay in pay band+Grade Pay+DA) of fresh entrant regular employee after 01.01.2006, subject to minimum of Rs. 8100/- or on the wages fixed by the concerned Deputy Commissioner, which is higher."

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत चालको की दिनांक 20.02.2017 से 19.02.2018 तक एक वर्ष तक के वेतन की अदायगी चालू वित्त वर्ष में करने का कष्ट करें, जिनके नाम निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Name Sarv/Shri/ & designation	Place of posting	Extened Period
1	Karambir, Driver	DD, IS&H, Gurugram -I	20.02.2017 to 19.02.2018
2	Satish Kumar, Driver	DLC-I, Gurugram	-do-
3	Narender Kumar, Driver	H.Q.	-do-
4	Pawan Kumar, Driver	Dy. Director, IH-I, Gurugram	-do-
5	Jatinder, Driver	DLC, Panipat	-do-
6	Mahender Kumar, Driver	DLC, Hisar posted at HQ.	-do-
7	Sanjay Kumar, Driver	DD, IS&H, Gurugram-II	-do-
8	Tejvir Singh, Driver	DLC, Faridabad	-do-
9	Anil Kalia, Driver	DD, IS&H, Hisar	-do-
10	Subhash Chand, Driver	AD, IH-cum-C.S., Hisar	14.02.2017 to 14.02.2018

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0),

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक: स्था0/3/2016/

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. Treasury Officer, Chandigarh, Faridabad, Hissar, Gurgaon & Panipat.
3. Concerned Driver.

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0),

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।